

J.D (PM) (PM)

25/7/15

9202

29/07/15

प्रष्ठक

निदेशक

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग,  
कल्याण विभाग हरियाणा

सेवा में

- ✓ 1. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग  
हरियाणा, सैक्टर-2 पॅचकूला।
2. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा  
शिक्षा सदन सैक्टर-5 पॅचकूला।
3. महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5 पॅचकूला।
4. निदेशक,  
मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा  
पर्यटन भवन, सैक्टर-2 पॅचकूला।
5. निदेशक,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा  
30 वेज विलिंग सैक्टर-17, चण्डीगढ़
6. सभी जिला कल्याण अधिकारी,  
हरियाणा राज्य में

क्रमांक: शिक्षा-1/2015/13951-76  
दिनांक: 10/07/15

विषय:- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना फार एसओसी० के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करने  
बारे।

उपरोक्त विषय के सदर्भ में।

- 2- विषयसंदर्भित स्कीम के अन्तर्गत राशि स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार की  
अनियमितताओं से बचने के लिए निम्न अनुसार संस्थान/छात्र से सम्बन्धित जाँच कर ली जाये हैं:-
- छात्र द्वारा जमा करवाया गया आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए तथा छात्र के  
कागजात जैसे आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र (तहसीलदार/उपमण्डल अधिकारी  
द्वारा जारी), फीस का विवरण (संस्थान द्वारा वैरिफाईड )
  - छात्र का फोन/मोबाइल नं० ताकि छात्र बारे वैरिफिकेशन दूरभाष द्वारा भी की जा सके
  - संरथन/कालेज/विश्वविद्यालय की वैद्यता (किस प्राधिकरण से मान्यता/ एफिलेशन  
/स्वीकृति है) बारे पूर्ण जाँच इन्टरनेट द्वारा एवं सन्देह की स्थिति में स्वयं जिला कल्याण  
अधिकारी राज्य एवं 20 से ज्यादा छात्र यदि राज्य से बाहर रिथ्त संस्थान के हैं तो वहाँ  
भी व्यक्तिगत तौर पर जाकर जाँच करें।
  - यदि छात्र दूरस्थ /पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो छात्रों से इसका भी  
शपथ पत्र लिया जाये कि छात्र अन्य किसी विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान में पंजीकृत  
नहीं है। यदि है तो वहाँ से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है।
  - वर्ष 2015-16 से प्राईवेट/स्वपेषित सभी (राज्य एवं राज्य से बाहर) संस्थानों से  
वायोमैट्रिक उपरिथिति रिपोर्ट ली जाये।

6. विभिन्न फीसों जैसे दाखिला फीस , ट्यूशन फीस ,लाइब्रेरी फीस .मैगजीन फीस एवं विश्वविद्यालय / कालेज डबलमैट फीस आदि का भुगतान करते समय प्राईवेट संस्थानों / दूररथ / पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो छात्रों के केसों में राज्य फीस . निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तथा राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों एवं विभागों जैसे मैडिकल कोर्सिंज के मामले में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, उच्च शिक्षा के मामले में उच्चतर शिक्षा विभाग / सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा तथा प्राईवेट एवं राज्य से बाहर स्थित आई0टी0आई0 के केसों में आई0टी0आई0 विभाग हरियाणा द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा फीस का भुगतान ना करें । सभी विश्वविद्यालयों/ विभागों द्वारा निर्धारित फीस का विवरण उनकी वैवसाईट पर उपलब्ध है यदि फीस विवरण साईट पर नहीं मिलता तो उस विभाग से निजि रूप से सम्पर्क करके प्राप्त करने उपरान्त ही राशि स्वीकृत करें ।
7. वर्ष 2015–16 से पूर्व के प्राईवेट/ स्वपोषित सभी ( राज्य एवं राज्य से बाहर ) संस्थानों के केस में छात्रों के उपरिथित रिकार्ड बारे हाजिरी रजिस्टर की सत्यापित प्रतियाँ लाइब्रेरी / मैगजीन फीस के केस में लाइब्रेरी के रजिस्टर में एन्ट्री एवं छात्र को पुस्तकों का इश्यू रिकार्ड ,विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अन्य लोकल छात्रों से प्राप्त फीस बारे रिकार्ड यदि छात्र छात्रावास में रहा है तो पूर्ण रिकार्ड बारे जॉच करके छात्रवृत्ति का भुगतान करें ।
8. यदि छात्र द्वारा किये जा रहे कोर्स में फीस का भुगतान समैस्टर अनुसार किया जाता है तो उसे छात्रवृत्ति भी समैस्टरवाईज प्रदान करें ।
9. वर्ष 2015–16 से यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी संस्थान में कोर्सवाईज भरी गई कुल सीटों में से छात्रवृत्ति के लिए 40 प्रतिशत छात्र पहले आओं पहले पाओं के आधार पर ही छात्रवृत्ति के पात्र होंगे इससे अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
10. छात्र की छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय उसकी आयु बारे यह भी जॉच ले की छात्र जब जिस कोर्स / डिग्री हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है उसको पूर्ण करने के उपरान्त उसकी आयु सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने के लिए कम से कम तीन वर्ष अवश्य शेष रहनी चाहिए ।
11. यदि छात्र/छात्रा शादीशुदा हैं एवं अपने माता-पिता से अलग रहता है उसका राशनकार्ड आदि कागजात अनुसार वह अलग यूनिट /परिवार है तो इस केस में उसकी एवं उसकी पत्नी की सभी साधनों से आय बारे तहसीलदार/उपमण्डल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेकर छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी करें ।  
इसके अतिरिक्त यदि आप संस्थान/छात्र द्वारा दी गई जानकारियों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो इस बारे निजि तौर पर फिजिकल वैरिफिकेशन करके छात्रवृत्ति का भुगतान करें । किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जिला कल्याण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा ।
12. प्रायः देखने में आया है कि छात्रों के बिना ठोस कारण के देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों को इस निदेशालय में भेज देते हैं अथवा छात्र को कहा जाता है कि आप अपना आवेदन पत्र सीधा ही निदेशालय में जमा करवाएं जबकि आप स्कीम के बारे में भलीभौति परिचित हैं एवं स्वीकृति भी आप द्वारा ही की जानी होती है । अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि बिना किसी ठोस-कारण के कोई आवेदन पत्र एवं आवेदक को निदेशालय में ना भेजें ।  
निदेशालय से जिला अनुसार अधिकारियों की डियूटी प्रत्येक जिले में लगाई गई है । अतः जिला कल्याण अधिकारी किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी से विचारविमर्श करें
- At: अनुरोध है कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति करते समय आप उपरोक्त बिन्दुओं तथा स्कीम की अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें ।

४८८९.८.१९  
लेखा अधिकारी  
कृते: निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग  
कल्याण विभाग, हरियाणा ।

By e-mail / Registered

**Directorate of Technical Education, Haryana, Panchkula**

Endst. No. 5114 - 5613 /PMS

Dated: 12-08-15

A copy of the above is forwarded to all Director /Principal of all UG/PG/Diploma Technical Institutions/Universities in Haryana under the ambit of Technical Education Department, Haryana for information and further necessary action for compliance of the above instructions issued by Welfare of SC & BC Department, Haryana in addition to the instructions already issued by the department/Govt. from time to time in this regard.

Deputy Director (PMS)  
for Director General, Technical Education  
Department, Haryana

Endst. No. 5614 - 23 /PMS

Dated: 12-08-15

A copy of the above is forwarded to Principal, Government Polytechnic, Ambala City/ Sonepat/ Hisar/ Sirsa/ Jhajjar/ Narnaul/ Nilokheri and Government Polytechnic for Women, Ambala/Faridabad for information and necessary action for compliance of the above instructions issued by Welfare of SC & BC Department, Haryana in addition to the instructions already issued by the department/Govt. from time to time in this regard.

Deputy Director (PMS)  
for Director General, Technical Education  
Department, Haryana

Endst. No. 5624 - 25 /PMS

Dated: 12-08-15

A copy of the above is forwarded to the following for information please:

1. Ms. Aruna Goyal, Deputy Director to host the letter on departmental web-site.
2. PS/DGTE

Deputy Director (PMS)  
for Director General, Technical Education  
Department, Haryana